निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 171) पटना, वृहस्पतिवार, 29 फरवरी 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2024

सं० 3/एम0–31/2023–सा0प्र0–3454—भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नव–नियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली **"बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**– जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नव–नियुक्त व्यक्ति (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) ;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;

(iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार;

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्री विभाग;

(vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग;

(vii) "केन्द्रीय परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पर्षद के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;

(viii) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा;

(ix) "प्रवेशकालीन प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है संबंधित नव–नियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण।

3. **परिवीक्षा अवधि।**– आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

4. **प्रशिक्षण।**– (1) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(3) प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा/संवर्ग के कर्मियों (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) के लिए एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जायेगा–

(क) प्रथम चरण– सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 02(दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme), जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों (आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सी0सी0ए0 रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक/सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाभ, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली, विधिक प्रबंधन एवं न्यायालयीय प्रक्रिया आदि) एवं अन्य सम–सामयिक विषयों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भारत–दर्शन का भी प्रावधान किया जा सकता है।

(ख) द्वितीय चरण– सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 03(तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जायेगा। इस हेतु संबंधित नियंत्री विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा, जिनसे समन्वय स्थापित कर बिपार्ड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदण्ड (Module) निर्धारित किया जायेगा।

(ग) तृतीय चरण– सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 06(छः) माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र सम्बद्धता (Field Attachment), जिसका निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग–अलग किया जायेगा। इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र में उन्हीं पदाधिकारियों के साथ सम्बद्ध किया जाय, जिनके दायित्व उनके सेवा से संबंधित दायित्वों से मिलते हों। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी को अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के साथ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ, सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के साथ आदि। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों से अपने सेवा से संबंधित विषयों पर कुछ प्रकल्प (project) तैयार करने की भी अपेक्षा की जायेगी। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा भविष्य में स्वतंत्र प्रभार में धारित किये जाने वाले पद की कार्य प्रकृति की जानकारी के लिए उसके अधीनस्थ पदों का स्वतंत्र प्रभार देकर प्रशिक्षित किया जायेगा। उदाहरण के लिए– राजस्व अधिकारी को एक माह को अंचल निरीक्षक के पद का तथा एक माह अमीन/राजस्व कर्मचारी के पद का स्वतंत्र प्रभार प्रशिक्षण के क्रम में दिया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में प्रशिक्षणार्थियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

(घ) चतुर्थ चरण– सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 01(एक) माह का अन्तिम सांस्थिक प्रशिक्षण, जिसे बिपार्ड द्वारा बिपार्ड में आयोजित किया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने प्रकल्प (project) पर प्रस्तुतीकरण (Presentation) देंगे। इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के विभिन्न विभागों में भी सम्बद्ध किया जायेगा।

(4) तृतीय चरण के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रशासी विभागों द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग–अलग नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा। सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों एवं बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों के लिए नियम पुस्तिका (Manual) तैयार करने की कार्रवाई की जायेगी।

(5) राज्य सरकार में नव–नियुक्त चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा।

(6) अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा/संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि/चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

5. **सेवा सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के उपरान्त सरकारी सेवक की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

6. **शिथिलिकरण की शक्ति।**– जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

7. **अभिभावी प्रभाव।**– राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

8. **निर्वचन।**– इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

9. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (1) राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधान निरसित समझे जायेंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विभाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियमावली/परिपत्र/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

28 फरवरी 2024

सं० 3/एम०–31/2023–सा0प्र0–3455, अधिसूचना संख्या 3454, दिनांक–28.02.2024 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 28th February 2024

No. 3/M-31/2023-GAD-3454--In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the probation period of newly appointed government servents–

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These Rules may be called as the **"Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024."**

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**— In these Rules, unless otherwise required in the context,—

(i) **"State Government"** means the State Government of Bihar;

(ii) **"Government Servant"** means a person newly appointed, in the service of the Government of Bihar (except Bihar Judicial Service),